भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:1225
उत्तर देने की तारीख: 19.09.2020

मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा

1225. श्री संगम लाल गुप्ताः
श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमाः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल के दिनों में देश में मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) योजना (एमडीएमएस) की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;
(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एमडीएमएस में शामिल किये गए देश के विद्यालयों और बच्चों की संख्या का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार/जिले-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त अवधि दौरान एमडीएमएस के तहत आबंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार/जिले-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या इस योजना के शुरू होने के बाद स्कूलों में नामांकन दर में वृद्धि हुई है;
(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई बढ़ी हुई दर का लिंग-वार ब्यौरा क्या है;
(च) क्या खाद्यान्नों के दुरुपयोग, खराब गुणवत्ता वाला खाना देने सहित कोई भी कथित अनियमितताएं प्राप्त हुई हैं;
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और
(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य सुधरात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): मौजूदा नीति के अनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों को मूल्यांकन और आगे जारी रखने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में चल रही अपनी योजनाओं की परिणामी समीक्षा करने के लिए कहा गया है। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 में मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) की समीक्षा की। योजना में परिवर्तनों / संशोधनों का विवरण अनुबंध- I में दिया गया है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत कुल नामांकित बच्चों और शामिल संस्थानों की संख्या का उत्तर प्रदेश सहित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध -II में दिया गया है।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार-विवरण अनुबंध III में दिया गया है।

(घ) और (ङ): एमडीएम योजना भारत सरकार द्वारा 1995 में शुरू की गई थी और तब से स्कूलों में नामांकन में भारी वृद्धि हुई है जो कुछ हद तक मध्याह्न भोजन के कारण हो सकता है। पिछले 2-3 वर्षों में सरकारी स्कूलों में नामांकन में मामूली गिरावट आई है। हालांकि इसके लिए किसी विशेष कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन यह माना जा सकता है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सही डेटा दिया जाना काफी हद तक जिम्मेदार हो सकता है।

(च) से (ज): पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से योजना के तहत खाद्यान्नों के दुरुपयोग और खराब गुणवत्ता वाले भोजन परोसे जाने सहित अनियमितताओं के संबंध में कुल 41 शिकायतों की सूचना मिली है। संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट अनुसार के (एटीआर), जिम्मेदार आधिकारी के खिलाफ चेतावनी जारी करने, संबंधित गैर सरकारी संगठनों के अनुबंध समाप्त करने, आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और दोषी व्यक्तियों/ / प्रशासनों क्षेत्र राज्य संघ और सरकारों राज्य संबंधित कार्रवाई जैसी लगाने डदं खिलाफ के संगठनों है। गई की द्वारा

पात्र बच्चों को पका हुआ और पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रो के प्रशासनों की है। इसके अलावा, इस योजना के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रो को गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूलों को निर्देश देते हैं कि वे मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए एगमार्क की गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुएँ खरीदें, बच्चों को भोजन परोसे जाने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के 2-3 वयस्क सदस्यों द्वारा भोजन चखना और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य नमूनों के परीक्षण की एक प्रणाली तैयार करें। इसके अलावा, एमडीएम नियम, 2015 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य नमूनों के अनिवार्य परीक्षण के लिए प्रावधान करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन पोषण मानकों और गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरें। सरकार ने इस योजना के तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक विस्तृत निगरानी तंत्र भी तैयार किया है।

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान इन शिकायतों और इन पर की गई कार्रवाई का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-IV में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री संगम लाल गुप्ता, श्री राजेशभाई चुड़ासमा द्वारा दिनांक 19.09.2020 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1225 के भाग (क) के उत्तर मे उल्लिखित अनुबंध

स्कूलों में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय मिड डे मील कार्यक्रम में परिवर्तन / संशोधन का विवरण

केंद्र सरकार ने स्कूलों में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय मिड-डे मील कार्यक्रम (एनपी-एमडीएमएस) के तहत निम्नलिखित घटकों के लिए मानदंडों के परिवर्तन /संशोधनों को मंजूरी दी है:

क	मौजूदा घटकों की निरंतरता
i	खाद्यान्न की कीमत @ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की दरें।
ii	कुक-सह सहायकों को मानदेय
iii	रसोई-सह-भंडारणों का निर्माण
iv	सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान एमडीएम का प्रावधान।
ख	**निम्नलिखित मौजूदा अनुमोदित घटकों के मानदंडों की निरंतरता और संशोधन**
v	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर अप्रैल में वार्षिक रुप से खाना पकाने की लागत में संशोधन।
vi	अधिकतम **150** रुपए प्रति क्विंटल के शर्ताधीन संबंधित पीडीएस दर के साथ गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए परिवहन दर में संशोधन
vii	कुल अनुमत्य आवर्ती केंद्रीय सहायता का **2%** से **3%** तक एमएमई दर में संशोधन
viii	**10000** रु. **-25000** रु की दर पर रसोई के उपकरणों की खरीद / प्रतिस्थापन को नामांकन से जोड़ना।
ग	**नए घटक**
ix	केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी के आधार पर दस वर्ष पहले निर्मित रसोई-सह-भंडारों की मरम्मत के लिए 10000/- रुपए की सहायता
x	चावल से शुरू करते हुए एक व्यवस्थित तरीके से खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित करना। प्रत्येक स्कूल में किचन गार्डन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
घ	**मामूली संशोधन और लचीलापन**
xi	जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के समग्र परिव्यय के भीतर इस योजना में मामूली संशोधन। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एमएचआरडी की पूर्व स्वीकृति के साथ नए कार्यकलापों के लिए उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट के 5% का उपयोग करने के लिए लचीलापन भी दिया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें केंद्र या राज्य योजनाओं में से किसी में शामिल नहीं हैं और गतिविधियों की अतिव्याप्ति नहीं है।
ङ	**बफर स्टॉक से दालों का उपयोग**
xii	केंद्रीय बफर स्टॉक से दालों का उपयोग
च	**नवाचार**

xiii	उपस्थिति की निगरानी
xiv	सांकेतिक मेनू विकसित करें ताकि अलग–अलग दिनों में अलग–अलग मेनू हो।
xv	**समुदाय और एजेंसियों को शामिल करना** (i) तीथि भोजन (ii) एमडीएम में जेलों, मंदिरों गुरुद्वारों आदि का उपयोग

अनुबंध-II

मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री संगम लाल गुप्ता, श्री राजेशभाई चुड़ासमा द्वारा दिनांक 19.09.2020 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1225 के भाग (ख) के उत्तर मे उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत नामांकित बच्चों और शामिल संस्थानों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20	
		नामांकन	संस्थान	नामांकन	संस्थान	नामांकन	संस्थान
1	आंध्र प्रदेश	2962241	45505	3003654	45583	2961814	45484
2	अरुणाचल प्रदेश	182567	2934	167565	2934	160977	2780
3	असम	4272276	57092	4263752	57103	4320767	53427
4	बिहार	19503049	70295	18095158	69513	17239412	70180
5	छत्तीसगढ़	3130280	44833	3041123	44838	3396887	44986
6	गोवा	161014	1479	161693	1473	181376	1468
7	गुजरात	5761832	34307	5488319	34644	5172288	34788
8	हरियाणा	1601082	14990	1491169	14391	1447990	14397
9	हिमाचल प्रदेश	524705	15494	509804	15504	497774	15513
10	जम्मू और कश्मीर	967462	23130	941554	23120	887033	22205
11	झारखंड	4673807	39722	4402797	39717	4180954	35773
12	कर्नाटक	4710473	54837	4632909	54830	4511680	54359
13	केरल	2649196	12327	2728751	12341	2785523	12324
14	मध्य प्रदेश	7332946	113621	6809497	113621	6664246	112908
15	महाराष्ट्र	11012148	86583	10788967	86744	10692617	86499
16	मणिपुर	186504	3442	171169	3481	169803	3476
17	मेघालय	599355	11597	716078	11659	592325	11678
18	मिजोरम	200122	2532	136951	2525	131876	2511
19	नागालैंड	165702	2076	168338	2099	159710	2067
20	ओडिशा	4841657	58784	4641593	57590	4513758	55525
21	पंजाब	1707881	20157	1574441	20157	1574443	19735
22	राजस्थान	6222613	66506	6265346	66506	6267136	66341
23	सिक्किम	66657	868	60691	867	55905	868
24	तमिलनाडु	5224545	43205	5010783	43283	4900596	43246
25	तेलंगाना	1913868	27896	1913868	28586	1795956	27329
26	त्रिपुरा	465525	6568	446226	6529	432279	6524
27	उत्तराखंड	749596	17664	716910	17339	689306	17045
28	उत्तर प्रदेश	17683288	167845	18019846	169232	18193664	167193
29	पश्चिम बंगाल	11922163	83690	11579246	84171	11562465	83945
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32337	332	32337	338	31115	332

31	चंडीगढ़	98754	123	95334	123	93762	122
32	दादरा और नगर हवेली	42381	280	42867	280	74293	368
33	दमन और दीव	18467	96	18827	92		
34	दिल्ली	1612295	2973	1626379	2975	1604505	3046
35	लक्षद्वीप	6957	39	7481	39	7290	39
36	लद्दाख					16577	817
37	पुदुच्चेरी	56899	431	56516	428	48427	426
	कुल	**123262644**	**1134253**	**119827939**	**1134655**	**118016529**	**1119724**

अनुबंध-III

मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री संगम लाल गुप्ता, श्री राजेशभाई चुड़ासमा द्वारा दिनांक 19.09.2020 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1225 के भाग (ग) के उत्तर मे उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं..	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	जारी/आवंटित केन्द्रीय सहायता	व्यय/उपयोग	जारी/आवंटित केन्द्रीय सहायता	व्यय/उपयोग	जारी/आवंटित केन्द्रीय सहायता	व्यय/उपयोग
		2017-18		**2018-19**		**2019-20**	
1	आंध्र प्रदेश	25713.85	25038.98	25748.17	24891.49	28563.77	26861.33
2	अरुणाचल प्रदेश	2551.75	2584.38	2506.03	2585.01	2367.90	2353.09
3	असम	52903.47	52453.43	51982.21	53532.38	55325.82	56024.00
4	बिहार	97871.58	116749.66	112448.94	110854.76	109313.34	113259.90
5	छत्तीसगढ़	27683.33	26410.68	32085.98	28308.86	25489.23	26886.06
6	गोवा	1230.93	1241.95	1309.07	1252.43	1276.05	1161.03
7	गुजरात	40429.86	38955.79	42351.63	35897.83	39287.11	37962.06
8	हरियाणा	9953.83	12177.85	13218.95	11221.87	10889.91	13315.45
9	हिमाचल प्रदेश	8684.1	7965.82	8021.30	8018.81	7557.54	7789.72
10	जम्मू और कश्मीर	6328.69	8478.64	10665.80	8598.72	2666.45	7949.01
11	झारखंड	30332.59	30288.74	33242.99	29287.08	32310.90	30621.39
12	कर्नाटक	44788.57	43548.88	40707.67	43358.74	52056.79	49733.80
13	केरल	32978.36	18973.8	19856.63	19477.55	19962.41	20305.50
14	मध्य प्रदेश	58098.87	52691.33	56191.95	56434.57	50407.62	51791.74
15	महाराष्ट्र	80310.7	81652.05	98185.46	82533.91	99468.82	84615.36
16	मणिपुर	2479.76	2200.51	2050.81	2151.03	2192.30	2262.23
17	मेघालय	6486.73	6755.05	7734.39	7119.85	7835.83	7829.98
18	मिजोरम	2018.32	1896.24	1889.23	1862.79	2047.93	1858.51
19	नागालैंड	1776.42	2101.13	2861.95	2208.58	2279.38	51.48
20	ओडिशा	41927.41	39697.56	39556.93	38228.53	40358.68	39699.88
21	पंजाब	14330.59	14301.69	15249.99	14605.25	13855.77	14797.65
22	राजस्थान	41107.05	41853.18	42043.30	42136.34	47252.76	44287.52
23	सिक्किम	881.12	866.74	881.15	865.16	817.45	762.31
24	तमिलनाडु	42506.34	42238.42	42054.58	41859.94	43121.49	41150.06
25	तेलंगाना	15494.76	15899.6	15757.34	16833.58	18821.14	16223.73
26	त्रिपुरा	5119.04	5164.16	5339.03	4998.50	5598.51	5820.96
27	उत्तराखंड	9714.2	9652.28	9478.27	9290.60	10273.31	9760.07
28	उत्तर प्रदेश	100475.08	99654.16	112771.60	110736.90	118201.96	111492.96
29	पश्चिम बंगाल	97146.3	97729.7	91710.01	101761.25	107102.66	112505.48
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	388.65	373.82	584.78	376.49	754.85	354.00
31	चंडीगढ़	669.35	655.1	1062.83	652.73	884.26	722.45
32	दादरा एवं नगर हवेली	538.44	528.21	933.22	562.83	572.89	545.76

33	दमन और दीव	332.16	262.55	304.07	284.31	258.31	230.20
34	दिल्ली	5294.99	6059.56	9808.38	9470.37	10319.99	7022.89
35	लक्षद्वीप	118.41	89.96	124.63	97.86	98.93	93.19
36	लद्दाख					122.35	253.33
37	पुदुच्चेरी	402.48	384.13	515.51	394.63	290.01	451.30
कुल (लाख में)		**909068**	**907576**	**951235**	**922752**	**970004**	**948805**

अनुबंध-IV

मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री संगम लाल गुप्ता, श्री राजेशभाई चुड़ासमा द्वारा दिनांक 19.09.2020 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1225 के भाग (च) से (ज) के उत्तर मे उल्लिखित अनुबंध

(क) पिछले 3 वर्षों के दौरान एमडीएमएस के तहत खाद्यान्नों के दुरुपयोग और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों सहित अनियमितताओं पर शिकायतों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	खराब गुणवत्ता			अनियमितताएँ			कुल
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	1	0	**1**
2	असम	0	0	0	0	1	0	**1**
3	बिहार	0	0	0	1	1	2	**4**
4	दिल्ली	2	0	0	0	1	0	**3**
5	गुजरात	1	0	0	0	0	0	**1**
6	हरियाणा	0	0	0	1	0	0	**1**
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	0	0	**1**
8	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	1	0	**1**
9	झारखंड	0	0	0	1	0	0	**1**
10	केरल	0	0	0	2	0	0	**2**
11	महाराष्ट्र	0	1	0	0	0	0	**1**
12	पंजाब	0	0	1	0	1	0	**2**
13	राजस्थान	0	1	0	1	2	1	**5**
14	तमिलनाडु	0	1	0	1	0	0	**2**
15	उत्तर प्रदेश	3	4	0	4	0	1	**12**
16	पश्चिम बंगाल	0	0	0	2	0	1	**3**
	कुल	**6**	**7**	**1**	**14**	**8**	**5**	**41**

(ख) उपर्युक्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई का सार

क्र.सं.	कार्रवाई का प्राकार	2018		2019		2020		कुल
		खराब गुणवत्ता	अनियमितताएँ	खराब गुणवत्ता	अनियमितताएँ	खराब गुणवत्ता	अनियमितताएँ	
1	विभागीय कार्रवाई (चेतावनी, स्थानांतरण, निलंबन सहित) और राज्य सरकार द्वारा सेवा प्रदाताओं / सिद्ध शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई ।	3	0	5	3	1	1	13
2	राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा संबंधितों को निर्देश जारी करने सहित सामान्य सुधारात्मक कार्रवाई	0	3	1	1	0	0	5
3	आधारहीन, सिद्ध नहीं, एमडीएम से संबंधित नहीं	3	10	1	3	0	0	17
4	राज्य स्तर पर जांचाधीन	0	1	0	1	0	4	6
5	कुल	6	14	7	8	1	5	41
	कुल योग	**20**		**15**		**6**		**41**

*****